न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

दिलीप सिंह बनाम भंवर कंवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा मु.नं.- 145/2023
	नहीं होना जाहिर किया। जिसके आधार पर प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी व मूल वादपत्र पर अन्तिम बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 05.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
05.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर वादपत्र को डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Dilip Singh Date: 2024.02.19 09:51:02 IST Reason: SelfAttested (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
145/2023	2023/1172	13.10.2023	05.02.2024

उनवान प्रकरण

1. दिलीपसिंह पुत्र स्व. शंकरसिंह आयु 51 वर्ष
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व.शंकरसिंह आयु 49 वर्ष
3. सिरे कवंर पत्नी स्व.शंकरसिंह आयु 72 वर्ष
4. सायरकंवर पुत्री शंकरसिंह आयु 53 वर्ष
5. राजेन्द्रसिंह पुत्र स्व. रेवतसिंह आयु 56 वर्ष
6. लाडकोर पत्नी मोहनसिंह आयु 65 वर्ष
7. संतोष कंवर पुत्री मोहनसिंह आयु 40 वर्ष
8. बिट्टूसिंह पुत्र स्व. मोहनसिंह आयु 46 वर्ष
9. लोकेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह आयु 42 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

–वादीगण

बनाम्

1. भंवर कवंर पत्नी रणजीत सिंह पुत्र स्व. सतीदान सिंह आयु 62 वर्ष
2. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह आयु 41 वर्ष
3. दीपेन्द्र सिंह पुत्र स्व. रणजीत सिंह आयु 39 वर्ष
4. रिद्धूकंवर पुत्री स्व. रणजीत सिंह आयु 45 वर्ष
5. रीतू कंवर पुत्री स्व. रणजीत सिंह आयु 29 वर्ष
6. रघुवीर सिंह पुत्र स्व.सतीदान सिंह आयु 60 वर्ष
7. विष्णुकंवर पत्नी भवानी सिंह पुत्र स्व. सतीदान सिंह आयु 38 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

8. लोकपाल सिंह पुत्र स्व. भवानी सिंह आयु 18 वर्ष

9. रेणु कंवर पुत्री स्व. भवानी सिंह आयु 17 वर्ष

10. अजय प्रताप सिंह पुत्र भवानी सिंह आयु 15 वर्ष

प्रतिवादीगण नम्बर 9 ता 10 नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता विष्णु कँवर पत्नी भवानीसिंह पुत्र स्व. सतीदानसिंह

11. सज्जन कंवर आयु 60 वर्ष पुत्री सतीदान सिंह

12. शोभा कंवर आयु 55 वर्ष पुत्री सतीदान सिंह

13. दरियाव कंवर पत्नी स्व. हनुमान सिंह आयु 86 वर्ष

14. भंवर कंवर पत्नी बजरंगसिंह पुत्र स्व. हणमान सिंह आयु 60 वर्ष

15. नरेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह आयु 42 वर्ष

16. वीरेन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह आयु 30 वर्ष

17. रेखा कंवर पुत्री बजरंग सिंह आयु 40 वर्ष

18. अंजू कंवर पुत्री बजरंग सिंह आयु 38 वर्ष

19. गजेन्द्र कंवर पुत्री बजरंग सिंह आयु 37 वर्ष

20. तोफ कंवर पत्नी घीसूसिंह आयु 60 वर्ष

21. लाखन सिंह पुत्र घीसूसिंह आयु 40 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

22. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

---प्रतिवादीगण---

उपस्थित :-

श्री कमल कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभि

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

श्री कानाराम पूनियां / हरिश उज्ज्वल, एड0 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से अभिभाषक।

श्री दीपेन्द्र भारद्वाज, एड0 प्रतिवादी संख्या 13 16 की ओर से अभिभाषक।

श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत, एड0 प्रतिवादी संख्या 20 ता 21 की ओर से अभिभाषक।

09/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-सीकर

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा

88, 188 आर.टी.एक्ट

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 2902 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित हैं। जिसके हिस्सा 1/4 की खातेदारी मृतक सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड है। भूमि खसरा नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला पटवार हल्का फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर मे स्थित हैं जिसके हिस्सा 1/4 की खातेदारी मृतक सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह के नाम व हिस्सा 1/8 की खातेदारी मृतक बजरंगसिंह पुत्र हनुमानसिंह के नाम व हिस्सा 1/8 की खातेदारी मृतक दरियाब कंवर पत्नी हनुमानसिह के नाम दर्ज रिकार्ड है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है जिसके 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 20 के नाम एंव 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 21 के नाम दर्ज है। पक्षकारान आपस मे एक ही परिवार से हैं पक्षकारान के मध्य आपस मे अपनी भूमियो बाबत् पारिवारिक समझौता अर्सा करीब 20 वर्ष पूर्व ही सम्पन्न हुआ था। जिसका आपसी बंटवारा लेख दिनांक 29.12.2013 को हो गया था। जिसके अनुसार पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से व बंटवारे मे आयी हुयी भूमियो पर अलग–अलग काबिज काश्त चले आ रहे हैं। उक्त समझौता/बंटवारा अनुसार वादपत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित भूमि मे सतीदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–सीकर

सिंह का हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 4 के पिता व पति शंकरसिंह के अकेले के हिस्से व बंटवारे में व वादपत्र की मद नम्बर 2 मे वर्णित भूमि मे सतीदानसिंह का हिस्सा 1/4 + बजरंगसिंह हिस्सा 1/8 + दरियाव कंवर का हिस्सा 1/8 इस प्रकार 1/4 + 1/8 + 1/8 कुल 1/2 हिस्सा मे से 1/3 हिस्सा अर्थात 1/6 हिस्सा वादीगण नम्बर 1 ता 4 के पिता व पति शंकरसिंह के व हिस्सा 1/6 वादी संख्या 5 राजेन्द्रसिंह के व 1/6 हिस्सा वादी संख्या 6 ता 9 के पति व पिता मोहनसिंह के व वादपत्र की मद नम्बर 3 में वर्णित भूमियो में प्रतिवादी संख्या 20 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 21 का हिस्सा 1/8 कुल 1/4 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/12 हिस्सा वादी संख्या 1 ता 4 के व 1/12 हिस्सा वादी संख्या 5 व 1/12 हिस्सा वादी संख्या 6 ता 9 के हक हिस्से व बंटवारे मे आया हुआ हैं। इसी अनुसार पक्षकारान अपने अपने हक हिस्से व बंटवारे मे आयी हुयी भूमियों पर समझौता के समय से ही तन्हा रूप से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इसी अनुसार वादीगण के अपने नाम खातेदारी दर्ज कराने के विधिक अधिकारी हो चुके है। उक्त समझौता के अनुसार पक्षकारान ने अपने–अपने नाम दर्ज कराने हेतु एक वाद मुकदमा संख्या 852/2002 उनवानी सतीदानसिंह वगैरह बनाम् अनोप कंवर वगैरह पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 03.07.2023 को होकर उनके हक मे फैसला निर्णय/डिक्री हो चुका हैं व वादीगण द्वारा एक वाद मुकदमा नम्बर 61/2014 उनवानी मोहनसिंह वगैरह बनाम् बजरंगसिंह वगैरह पूर्व में न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। जिसमें पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होकर राजीनामा तस्दीक हो चुका था व प्रकरण न्यायालय हाजा मे विचाराधीन था परन्तु उक्त वाद वादीगण तारीख पेशीया वकील द्वारा ही ली जा रही थी व वादीगण को यह विश्वास दिलाया था कि प्रकरण मे राजीनामा हो चुका हैं व फैसला/डिक्री करवाकर मैं तुम्हे सूचना कर दूंगा व वादीगण वकील के भरोसे पर ही रहे हैं परन्तु दिनांक 29.09.2023 को वादीगण [illegible] काम से श्रीमाधोपुर न्यायालय में आये थे तब वादीगण ने अपने दावे बाबत वकील [illegible] की तो उन्होने बताया कि आपका दावा तो अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका हैं। इस पर वादीगण ने मालूमात कर प्रकरण की नकले प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:31:02 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

वादीगण को नकले दिनांक 03.10.2023 को प्राप्त होने पर वादीगण को प्रथम बार जानकारी हुयी है। इस प्रकार नकले प्राप्त कर वादीगण द्वारा अपने नाम खातेदारी दर्ज करने बाबत कहा तो उन्होने खातेदारी दर्ज हेतु मना कर दिया एवं अन्तरण व खुर्द-बुर्द करने की धमकी देने से यह वादपत्र न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण के नाम पूर्व बंटवारे अनुसार खातेदारी दर्ज नही होने से वादीगण को सख्त हकतल्फी हैं। वादीगण राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा खातेदारो को दी जाने वाली सुविधाओ से वादीगण वंचित रहना पडता हैं। इस कारण वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायहित मे अति आवश्यक है। वर्तमान में खातेदरी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज चली आ रही है। यदि गलत खातेदारी की आड़ में यदि प्रतिवादीगण ने भूमियो को दीगर किसी व्यक्तियो को अन्तरण आदि कर दिया जावेगा या भूमियो को खुर्द–बुर्द कर दिया जावेगा तो वादीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होकर वादीगण बरबाद हो जावेगें। इस कारण प्रतिवादीगण की इस गलत व अवैध कार्यवाही बाबत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से वादीगण पाबन्द कराने के अधिकारी है व प्रतिवादीगण को इस बाबत जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। बिनाय दावा दिनांक 29.09.2023 को पूर्व वाद बाबत मालूमात व पूछताछ करने पर वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने बाबत कहने पर उक्त डिक्री की नकले प्राप्त करने बाबत नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकले दिनांक 03.10.2023 को प्राप्त होने पर वाद की खारिज होने की जानकारी प्रथम बार होने व भूमियो की खातेदारी कब्जे काश्त व बंटवारा अनुसार दर्ज नही हो सकने व गलत खातेदारी जो प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज होकर भूमियो को किसी दीगर लोगो को अन्तरण कर खुर्द–बुर्द किये जाने की धमकी [illegible] उत्पन्न हुआ हैं व लगातार हो रहा है। दावा [illegible] अन्[illegible]मियाद है। बिनाय दावा दिनांक 09.09.2023 को पूर्व वाद बाबत मालूमात व पूछता[illegible] पर वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज हो जाने बाबत कहने पर [illegible] डिक्री की नकले प्राप्त करने बाबत नकल आवेदन प्रस्तुत कर नकले दिनांक 03.10.2023 को प्राप्त होने पर वाद की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–[illegible]

खारिज होने की जानकारी प्रथम बार होने व भूमियो की खातेदारी कब्जे काश्त व बंटवारा अनुसार दर्ज नही हो सकने व गलत खातेदारी जो प्रतिवादीगण के बुजुर्गान के नाम दर्ज होकर भूमियो को किसी दीगर लोगो को अन्तरण कर खुर्द–बुर्द किये जाने की धमकी देने से पैदा होकर लगातार हो रहा है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावे :– घोषणा इस आशय की पारित की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 2902 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में मूल खातेदार सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह के नाम दर्ज 1/4 सम्पूर्ण की खातेदारी वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम व कृषि भूमि खसरा नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में मृत्तक खातेदार सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह का हिस्सा 1/4 + मृत्तक बजरंगसिंह पुत्र हनुमानसिंह हिस्सा 1/8 + मृत्तक दरिया कंवर पत्नी हनुमानसिंह के नमा दर्ज हिस्सा 1/8 इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम व 1/6 हिस्सा वादी संख्या 5 राजेन्द्रसिंह के नाम व हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादीगण संख्या 6 ता 9 के नाम व कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 20 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 21 का हिस्सा 1/8 कुल 1/4 हिस्से का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमियो में 1/12 हिस्से का वादीगण संख्या 1 ता 4 व हिस्सा 1/12 वादी संख्या 5 व हिस्सा 1/12 वादी संख्या 6 ता 9 के नाम खातेदार दर्ज करने की घोषणा की जाकर इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उपरोक्त भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, [illegible] कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील [illegible] सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह का नाम हजफ फरमाया [illegible] नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम फु[illegible] तहसील श्रीमाधोपुर में मृत्तक खातेदार सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह व मृत्तक खातेदार बजरंगसिंह पुत्र हनुमानसिंह व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

मृत्तक खातेदार दरियावकंवर पत्नी हनुमानसिंह का नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर से प्रतिवादी संख्या 20 व 21 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त फरमाया जाने एंव प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद वास्ते घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री कानाराम पूनियां एड0 एंव प्रतिवादी संख्या 13 लगायत 16 की श्री दीपेन्द्र भारद्वाज एड0 व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री हरिश उज्जवल एड0 ने आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बावत अण्डरटेंकिग पेश की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री हरिश उज्जवल एड0 ने एंव प्रतिवादीगण संख्या 13 लगायत 16 की ओर से श्री दीपेन्द्र भारद्वाज एड0 एंव प्रतिवादीगण संख्या 20, 21 की ओर से श्री देवेन्द्र सिंह शेखावत एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामे पेश किये। वकील वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का पेश किया। जिसकी नकल वकील प्रतिवादीगण को दिलाई जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दरख्वास्त हेतु अवसर चाहे जाने पर अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण संख्या 6, 7, 22 की तामील असालतन होकर लौटी है तथा प्रतिवादीगण संख्या 8 लगायत 10 के नाबालिग होने से इनकी तामील [illegible] माता [illegible] द्वारा प्राप्त कर लिये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 11 व 12 की तामील [illegible] के द्वारा प्राप्त की गई है। जो तामील पर्याप्त है। बावजूद तामील [illegible] नहीं आये है। अतः प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 12 व 22 के विरूद्ध [illegible]पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 4, 5, 17 से 19 की सम्मन तामील पर ससुराल में रहने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

की रिपोर्ट अंकित होकर आई है। जो तामील पर्याप्त नहीं होने से इनकी पुनः तामील की जावें। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण संख्या 20 व 21 ने प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही वादपत्र में अंकित वादग्रस्त आराजी भूमियों के सम्बन्ध में पक्षकारान् के मध्य पूर्व में दिनांक 29.12.2013 को लिखे गये बंटवारा लेख के राजीनामें के अनुसार वादीगण के वादपत्र को डिक्री कर दिया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 20 व 21 को कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर अंकित कियें। वकील प्रतिवादीगण के द्वारा वादपत्र को बंटवारा लेख पक्षकारान् के मध्य आपस में पूर्व में हुए राजीनामा अनुसार सैद्धान्तिक सहमति बन जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण को सीधे ही बहस में लिया गया।

प्रकरण में अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में पूर्व में हुए राजीनामा दिनांक 29.12.2013 के अनुसार सहमति बन जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में पूर्व में दिनांक 29.12.2013 को हुए राजीनामा पर सहमति बन जाने से वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार कर लिये जाने से प्रकरण में सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2047–2077 की तीन जमाबन्दीयाँ, वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में पूर्व में दिनांक 29.12.2013 को हुए राजीनामा/बंटवारा लेख कमांक 326–ए व 326–बी, उनवानी प्रकरण मोहन सिंह बनाम बजरंग सिंह वगैरह किस्म दावा मुकदमा संख्या 61/2014 निर्णय दिनांक 16.11.2022 की समस्त पत्रावली एंव मुकदमा संख्या 852/2002 उनवानी प्रकरण सतीदानसिंह वगैरह बनाम मु0 अनोप कॅवर वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 03.07.2023 की फोटो प्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियां की खातेदारी पक्षकारान् के पूर्वजों व प्रतिवादी संख्या 20 व 21 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रक कृषि भूमियाँ होना तथा वादीगण व प्रतिवादीगण पक्षकारान् के आपस में एक ही परिवार से होकर पक्षकारान् के मध्य आपस में वादग्रस्त भूमियों बावत पारिवारिक समझौता अर्सा करीबन 20 वर्ष पूर्व लिखित में होकर उसी अनुसार बंटवारा लेख दिनांकित 29.12.2013 का लिखा जाना प्रकट होता है। उक्त बंटवारा लेख दिनांकित 29.12.2013 जो नोटेरी पब्लिक के कमांक 326–ए व 326–बी पर दर्ज रजिस्टर अंकित है के अनुसार ही पक्षकारान् के द्वारा अपने–अपने हिस्से पर हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आना भी प्रकट होता है तथा उक्त लिखापढ़ी के आधार पर ही वादीगण के द्वारा एक दावा उनवानी प्रकरण मोहन सिंह बनाम बजरंग सिंह वगैरह किस्म दावा मुकदमा संख्या 61/2014 का न्यायालय में पेश किया जाना तथा उक्त वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 20.03.2014 को राजीनामा पेश किया जाना तथा उक्त राजीनामा अनुसार वादीगण के नाम खातेदारी दर्ज कर प्रतिवादीगण व दर्ज खातेदारान् का नाम खातेदारी से हजफ कर दिये बावत राजीनामा से अपनी स्वीकृति प्रदान किया जाना एंव उक्त वाद का कोई अं[illegible] नहीं होने व उक्त वादपत्र निर्णय दिनांक 16.11.2022 के द्वारा अदम हाजरी व अदम पैरवी में [illegible]ना प्रकट होता है।

वकील वा[illegible] पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी में अंकित किया है कि [illegible]गण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में पूर्व में दिनांक 29.12.2013 को हुए राजीनामा/बंटवारा लेख कमांक 326–ए

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी

द 326–बी से प्रतिवादीगण के पूर्ण रूप से पाबन्द होना एवं उसके विपरित किसी प्रकार का आचरण नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण विवबंध होने व वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त नवीन वाद जो न्यायालय में लम्बित है को वादीगण पूर्व प्रस्तुत राजीनामा अनुसार अंतिम निर्णय करवाने हेतु पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20.03.2014 में पक्षकारान द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुसार अंतिम निर्णय किया जाकर डिक्री फरमाये जाने का निवेदन अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है। वादीगण की ओर से उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का प्रस्तुत कर खातेदारी दुरूस्त करने बाबत अनुतोष चाहा है। सीपीसी के आदेश 12 नियम 6 में वर्णित प्रावधान इस प्रकार से है:–

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 12 नियम 6 सीपीसी में स्पष्ट वर्णित है कि:– स्वीकृतियों के आधार पर निर्णय –

(1) जहाँ अभिवचन में यहाँ अन्यथा, चाहे मौखिक रूप से या लिखित रूप में तथ्य की स्वीकृतियां की जा चुकी हैं वहां न्यायालय वाद के किसी प्रक्रम में या तो किसी पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से और पक्षकारों के बीच किसी अन्य प्रश्न के अवधारण की प्रतीक्षा किए बिना ऐसी स्वीकृतियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश या ऐसा निर्णय कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अधीन निर्णय सुनाया जाता है तब निर्णय के अनुसार डिक्री तैयार की जाएगी और डिक्री में वह तारीख दी जाएगी जिस तारीख को उक्त निर्णय सुनाया गया था।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष बावत ... के भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 29... कुल किता 5 ... 3.11 हैक्टर में मूल खातेदार सतीदानसिंह पुत्र नाथू सिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण की खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम व तन् ग्राम फुटाला के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर में मृत्तक खातेदार सतीदान सिंह पुत्र नाथूसिंह का हिस्सा 1/4 + मृत्तक बजंरग सिंह पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 1/8 + मृत्तक दरिया कॅवर पत्नी हनुमान सिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम व 1/6 हिस्सा वादी संख्या 5 राजेन्द्रसिंह के नाम व हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादीगण संख्या 6 ता 9 के नाम व कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 20 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 21 का हिस्सा 1/8 कुल 1/4 हिस्से का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमियो में 1/12 हिस्से का वादीगण संख्या 1 ता 4 व हिस्सा 1/12 वादी संख्या 5 व हिस्सा 1/12 वादी संख्या 6 ता 9 के नाम खातेदार दर्ज करने की घोषणा की जाकर इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाकर उक्त भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 2902 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर से मृत्तक खातेदार सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह का नाम हजफ फरमाये जाने तथा भूमि खसरा नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में मृत्तक खातेदार सतीदान सिंह पुत्र नाथूसिंह व मृत्तक खातेदार बजरंग सिंह पुत्र हनुमानसिंह व मृत्तक खातेदार दरियावकंवर पत्नी हनुमानसिंह का नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर से प्रतिवादी संख्या 20 व 21 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ फरमाये जाने का अनुतोष वादीगण के द्वारा अपने वादपत्र में चाहा गया है जबकि पक्षकारान् के मध्य आपस में हुए बंटवारा लेख में वादीगण जो उक्त बंटवारा लेख में प्रथम पक्ष पर [illegible] ग्राम मूण्डरू के भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 2902 [illegible] कुल रकबा 3.11 हैक्टर भूमि व तन् ग्राम फुटाला के कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]0, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

05/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

रकबा 0.98 हैक्टर व ग्राम मूण्डरू के भूमि खसरा नम्बर 2903 रकबा 0.09 हैक्टर, 3436 रकबा 0.77 हैक्टर, 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर जिसमें खसरा की 0.13 है, व लाखन सिंह का हिस्सा 1/4 हिस्सा 0.4125 है0, व प्रथम पक्ष का 1/4 हिस्सा 0.4125 हैक्टर कुल रकबा 0.955 हैक्टर, प्रथम पक्ष के हिस्से में रहेगा तथा खसरा नम्बर 2906 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 2907 रकबा 1.50 है0, खसरा नम्बर 2911 रकबा 0.68 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 2.83 हैक्टर जिसमें रकबा 1.325 हैक्टर प्रथम पक्ष के हिस्से व रकबा 0.20 हैक्टर लाखन सिंह द्वितीय पक्ष के हिस्से में से दी जाने तथा कुल रकबा 1.525 हैक्टर प्रथम पक्ष के हिस्से में रहने तथा ग्राम फुटाला के खसरा नम्बर 1849 रकबा 0.81 हैक्टर जिसमें से 0.41 हैक्टर प्रथम पक्ष के हिस्से में रहने तथा खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2902 व 2885 कुल रकबा 3.11 हैक्टर में से 0.7775 हैक्टर दीलिप सिंह व सुरेन्द्र के हिस्से में होने से चतुर्थ पक्ष नाम करवाये जाने बाबत लिखा जाकर पक्षकारान् के मध्य सहमति बनी होना बंटवारा लेख में अंकित होना स्पष्टतः प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा बंटवारा लेख राजीनामा में अंकित कथनों से पाबन्द होने से वादीगण अपने नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड कराने के अधिकारी पाये जाते है। इसलिए वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 12 नियम 6 सीपीसी का स्वीक[illegible] होने [illegible] वादीगण का वाद बाबत् घोषणा, दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड व [illegible] स्वीकार किया जाकर घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 05/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

की जाती है कि राजस्व ग्राम मूण्डरू के भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 2902 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर में मूल खातेदार सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण की खातेदारी वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम व तन् ग्राम फुटाला के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर में मृत्तक खातेदार सतीदान सिंह पुत्र नाथूसिंह का हिस्सा 1/4 + मृत्तक बजरंग सिंह पुत्र हनुमान सिंह हिस्सा 1/8 + मृत्तक दरिया कँवर पत्नी हनुमान सिंह के नाम दर्ज हिस्सा 1/8 इस प्रकार कुल 1/2 हिस्से में से 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमि में 1/6 हिस्सा वादीगण संख्या 1 ता 4 के नाम व 1/6 हिस्सा वादी संख्या 5 राजेन्द्रसिंह के नाम व हिस्सा 1/6 की खातेदारी वादीगण संख्या 6 ता 9 के नाम व कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में प्रतिवादी संख्या 20 का हिस्सा 1/8 व प्रतिवादी संख्या 21 का हिस्सा 1/8 कुल 1/4 हिस्से का 1/3 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण भूमियो में 1/12 हिस्से का वादीगण संख्या 1 ता 4 व हिस्सा 1/12 वादी संख्या 5 व हिस्सा 1/12 वादी संख्या 6 ता 9 के नाम खातेदार दर्ज करने की घोषणा की जाती है तथा भूमि खसरा नम्बर 2865, 2866, 2867, 2885, 2902 कुल किता 5 कुल रकबा 3.11 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर से मृत्तक [illegible] सतीदानसिंह पुत्र नाथूसिंह का नाम हजफ किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 1850, 1853, 1857 कुल किता 3 कुल रकबा 0.98 हैक्टर तन् ग्राम फुटाला तहसील श्रीमाधोपुर में मृत्तक खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested

02/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

शतीदान सिंह पुत्र नाथूसिंह व मृत्तक खातेदार बजरंग सिंह पुत्र हनुमानसिंह व मृत्तक खातेदार दरियावकंवर पत्नी हनुमानसिंह का नाम कृषि भूमि खसरा नम्बर 3435 रकबा 0.77 हैक्टर, खसरा नम्बर 3437 रकबा 1.01 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.78 हैक्टर तन् ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर से प्रतिवादी संख्या 20 व 21 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें एंव ना ही दीगर से करावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने हेतु भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.19 09:51:02 IST
Reason: SelfAttested